उनवान

1. सुजा पुत्र मुरलीधर जाति मीणा, निवासी ग्राम झीड़ा, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

---प्रार्थी

बनाम

1. कमला पुत्री गोपाल।
2. कानाराम पुत्र मुरलीधर।
3. गोरी पुत्री गोपाल।
4. छोटी पुत्री गोपाल।
5. जालिमसिंह पुत्र गोपाल।
6. नन्दकिशोर पुत्र गोपाल।
7. नर्बदा पुत्री गोपाल।
8. बिदामी देवी पत्नि पत्नि गोपाल।
9. मन्ना लाल पुत्र गोपाल।
10. मालीराम पुत्र मुरलीधर।
11. लादु पुत्र मुरलीधर।
12. श्रवणी पुत्री गोपाल।
13. सुलतान पुत्र मुरलीधर।
14. माली देवी पत्नि रामू।
15. मोहनलाल पुत्र रामू।
16. गणपत पुत्र रामू।
17. सांवरमल पुत्र रामू।
18. कृष्णकुमार पुत्र रामू। समस्त जाति मिणा निवासी ग्राम झीड़ा तहसील चौमूं जिला जयुपर।
19. बीना देवी पत्नि मुकेश।
20. टीना पत्नि राजु समस्त जाति मिणा निवासी ग्राम रूण्डल, तहसील आमेर जिला जयपुर।
21. भागोती देवी पत्नि मोहन।
22. सुमन पत्नि मुकेश।
23. उमराव पुत्र आन्या।
24. छाजुराम पुत्र आन्या।
25. फूली देवी पुत्री आन्या।
26. मनभरी देवी पुत्री आन्या।
27. लादी देवी पुत्री आन्या।
28. सूजी पत्नि आन्या।
29. सन्तोष देवी पुत्री आन्या।
30. हरिनारायण पुत्र आन्या समस्त जाति [illegible] ग्राम झीड़ा, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
31. राजस्थान सरकार जरिये [illegible], तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Jakhar
Date: 2024.04.16 10:01:28 IST
Reason: SelfAttested

---अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं जिला जयपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, भू राजस्व अधिनियम,

निर्णय दिनांक–04.09.2023

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि वाके ग्राम झीड़ा, पटवार हल्का विजयसिंहपुरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर में भूमि खसरा नम्बर 663 रकबा 0.24 हैक्टेयर, स्थित है। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा राजस्व रिकार्ड अनुसार 3/20 भाग निहीत है।

वाकें ग्राम झीड़ा, पटवार हल्का विजयसिंहपुरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर में भूमि प्रार्थी के खसरा नम्बर 663 के दक्षिणी दिशा में लगवा आराजी खसरा नम्बर 662 की भूमि स्थित है। जे कि अप्रार्थीगण संख्या 23 ता 30 की भूमि कि भूमि है तथा मद संख्या 1 में वर्णित प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 663 के दक्षिणी ओर लगवा मद संख्या 2 में वर्णित अप्रार्थीगणसंख्या 23 ता 30 की भूमि खसरा नम्बर 662 स्थित है।

प्रार्थी की भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 01.06.2017 को तहसीलदार तहसील चौमूं के आदेश क्रमांक/एल/आर/2017/1718 दिनांक 04.05.2017 की पालना में पटवारी हल्का द्वारा द्वारा दिनांक 04.05.2017 को मौके पर पॅहुच कर उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष गै0मू0 चाह खसरा नम्बर 651 को आधार मानकर जरीब चलाकर सीमा नापकर सभी पक्षकारान् को समझाई गई थी, जिस सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी अपनी सहहिस्सेदारी की भूमि खसरा नम्बर 663 की दक्षिणी सीमा की पत्थरगढी करवाना चाहता है जिस हेतु न्यायालय श्रीमान् के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हुआ।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् जी से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की भूमि आराजी वाके वाके ग्राम खेजरोली–बी, पटवार हल्का खेजरोली–बी, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर में भूमि खसरा नम्बर 4000 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4000/9207 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4001 रकबा 1.04 हैक्टेयर कुल किता 3 का कुल रकबा 1.18 हैक्टेयर की पत्थरगढी करने के अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को आदेश फरमानें की कृपा करें।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पेश करने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 ता 7, 12 ता 15 बावजूद तलबी अनुपस्थित है। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 8 ता 11 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि आराजी भूमि खसरा नम्बर 4002/2 मिन जवाबदातागण की खातेदारी भूमि है जिसमें आने जाने का एकमात्र रास्ता प्रार्थी की भूमि में से स्थित है जिसका जवाबदातागण अर्सेदराज लगभग 50 वर्षो से अधिक समय से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है इसके अतिरिक्त मिन जवाबदातागण के पास कोई आवागमन का रास्ता मौके पर मौजूद नही है जिस हेतु मिन जवाबदातागण द्वारा धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र भी पेश कर रखा है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् जी से निवेदन है कि मिन जवाबदातागण का जवाब स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की भूमि वाके ग्राम खेजरोली–बी, पटवार हल्का खेजरोली–बी, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर में भूमि खसरा नम्बर 4000 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4000/9207 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4001 रकबा 1.04 हैक्टेयर कुल किता 3 का कुल रकबा 1.18 हैक्टेयर का मिन जवाबदातागण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 4002/2 में आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अर्थात उक्त भूमि में आने जाने हेतु मिन जवाबदातागण को रास्ता दिया जाकर प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढी की जाती है तो मिन जवाबदातागण को कोई आपत्ति, ऐतराज नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Jakhar
Date: 2024.04.16 10:01:28 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता उभयपक्षकारान बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी आवेदित आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का कानूनन हक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
चौमूँ जिला जयपुर

द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार चौमूं के आदेश से दिनांक 01.06.2017 को पटवारी हल्का द्वारा करवाया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थी का प्रा0पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र बाबत् पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौमू को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन/विवाद नही हो तथा मौके पर फसल न हो तो सीमाज्ञान दिनांक 01.06.2017 के अनुसार पत्थरगढी की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। यॅहा यह भी स्पष्ट है कि यह आदेश केवल सीमा चिह्न कायम करने हेतु है उक्त आदेश किसी एक व्यक्ति को बेदखल कर दुसरे व्यक्ति को कब्जा सम्भलवाने के लिये जारी नही किया गया है। तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजेश जाखड़
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौमू
(जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Jakhar
Date: 2024.04.16 10:01:28 IST
Reason: SelfAttested